ग्राम पंचायत बाड़का, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 **प्रस्तावना :-**

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत **बाड़का,** विकास खण्ड सलूणी , जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति अंग्रेजो देवी	23-01-11 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री टेक चन्द	30-09-12 से 18-03-17
2.	श्री शिव कुमार	19-03-17 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-ग्राम पंचायत बाड़का विकास खण्ड सलूणी के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितता का सार निम्न प्रकार से है

क्रम संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1	5	श्री कमलेश कुमार पूर्व प्रधान से नकद राशि का न वसूलना	0.70
2	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना।	0.24
3	8	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करना ।	0.38
4	8.1	अनुदानों का अवरोधन।	15.08
5	9	निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करना	विवरणानुसार

6	12	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना खरीद बारे।	5.46
7	13	निर्माण सामग्री का स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे।	5.46

भाग– दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बाड़का, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 01/4/2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखाओं का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20-12-2017 से 22-12-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय बाड़का में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/15, 03/16 व 03/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 08/14, 05/15 व 07/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत बाड़का , विकास खण्ड सलूणी , जिला चम्बा के अवधि 1-4-14 से 31-3-17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 289 दिनांक 22-12-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बाड़का से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत **बाड़का** द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(i) स्व: स्त्रोत :- ग्राम पंचायत बाड़का के अवधि1.4.14 से 31.3.17 तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	90173	37055	127228	34000	93228
2015-16	93228	39382	132610	47500	85110
2016-17	85110	35452	120562	120562	0

{ii} अनुदान :-ग्राम पंचायत बाड़का के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	799094	2806035	3605129	2676582	928547
2015-16	928547	3299574	4228121	3148919	1079202
2016-17	1079202	4691900	5771102	4262761	1508341

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPSCB salooni	18910103716	1433035
2.	----do------	18910109082	5306
6.		cash in hand	70000
		TOTAL	**₹1508341**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख):- ₹1508341

(ख) दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹1508341

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत बाड़का की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था l सचिव द्वारा उक्त वित्तीय स्थिति तो तैयार की गई परन्तु रोकड़ बही व पास बुकों का मिलान नहीं किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया , जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते }नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अपेक्षित था। अत : पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। भविष्य में पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 श्री कमलेश कुमार पूर्व प्रधान से ₹0.70 लाख नकद राशि का न वसूलना :-

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि श्री कमलेश कुमार, पूर्व प्रधान के पास जनवरी 2011 से ₹70000 नकद के रूप में दर्शाई गई है जो कि अभी तक नहीं वसूला गई जोकि एक गंभीर अनियमितता है उक्त राशि को दण्ड ब्याज सहित सम्बंधित से शीघ्र वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में तैयार जाएगा, जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 पंचायत राजस्व ₹0.24 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व ₹24480 की वसूली शेष थी ।

(क) गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	15000	7040	22040	15000	7040
2015-16	7040	7040	14080	2640	11440
2016-17	11440	7040	18480	0	18480

(ख)मोबाइल टावर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	2000	2000	0	2000
2015-16	2000	2000	4000	0	4000
2016-17	4000	2000	6000	0	6000

क+ख =₹24480

उक्त गृह कर व मोबाइल टावर की बकाया राशि को तुरन्त वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

8 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹0.38 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

पंचायत सचिव बाड़का द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान RAY, के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹37500 इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से उक्त राशि अधिक खर्च की गई, जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

8.1 अनुदान ₹15.08 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान ₹1508341 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत बाड़का को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा किए निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अनुचित रूप से ₹830 का विक्रय-कर भुगतान करने बारे:-

वा0 सं0 शून्य माह 04/15 की जाँच करने पर पाया गया कि मै० चम्बा जनरल स्टोर से ₹17428 की स्पोर्ट्स किट खरीदी गई उक्त खरीद से सम्बन्धित कुटेशनो की जाँच करने पर पाया गया कि सभी फर्मो द्वारा दरें विक्रय-कर के साथ दर्शाई गई थी जबकि उक्त फर्म द्वारा अपने बिल में **₹830** विक्रय कर की राशि अलग से वसूल किया गया, जोकि अनुचित था। उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 सीमेंट की 372 बोरियां को प्राइवेट फर्म से खरीदने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-2** के अनुसार 372 सीमेंट की बोरियां प्राइवेट फर्म से खरीदी गई थी सीमेंट की खरीद प्राइवेट फर्म से तभी क्रय की जा सकती थी जब नजदीकी सिविल सप्लाई कारपोरेशन डिपो से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया होता। मनरेगा निधि के अंतर्गत सीमेंट की खरीद सिविल सप्लाई कारपोरेशन से की गई है। परन्तु अन्य निधि में खरीद प्राइवेट फर्म से की गई है जो की अनुचित है , सिविल सप्लाई कारपोरेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र न प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व् अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.46 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹545763** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत बाड़का को अवगत करवाया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 क्रय की गई ₹5.46 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के दौरान की गई खरीद के

वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर ₹545763 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है , जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत बाड़का को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए भण्डार प्राप्ति व उपयोग लेखा तैयार कर आगामी लेखा परिक्षण से जांच करवाया जाए अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है।

14 निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-2** के अनुसार पत्थर की 60.89 फरी(ढेर) व रेत की 8 गाड़ियों की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु पत्थरों व रेत की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके अभाव में पत्थर व रेत की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है व प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में जाँच हेतु लाया जाता है अत: पत्थर व रेत की मात्रा के स्थान पर केवल फरी व गाड़ी दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

15 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत बाड़का को अवगत करवाया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

16 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 **विविध अनियमितताएं :-** ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

18 **लघु-आपति विवरणिका:-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

19 **निष्कर्ष** :-लेखों के रख-रखाव सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7)25/2018 खण्ड–1–3738–3741 दिनांक25.05.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत बाड़का, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881